

3- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि डा0 अनुपमा रानी की उक्त नियुक्ति/तैनाती उनके विरुद्ध वर्तमान में योजित विभिन्न मुकदमों/वादों तथा प्रश्नगत नियुक्ति के प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं में पारित अन्तिम आदेशों के अधीन रहेगी तथा कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।


सुभाष चन्द्र राय  
विशेष सचिव

संख्या- 1083(1)/71-1-13, तददिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर डाल दे।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ।
4. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मेरठ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. वित्त नियंत्रक, संबंधित मेडिकल कालेज, मेरठ।
7. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
( सुभाष चन्द्र राय )  
विशेष सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या:एम0ई0-2/2013/4094-95

लखनऊ, दिनोंक 14/5/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
3. संबंधित चिकित्सा शिक्षक।

  
(के0के0गुप्ता)  
महानिदेशक